न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 130 / 2024 दायर दिनांक 11.12.2024
जीसीएमएस नं. 2024 / 117 निर्णय दिनांक 25.02.2026

उनवान

1. राजमल पुत्र स्व. कन्हैयालाल डेण्डोर निवासी लिम्बडिया तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. वीरा पिता दुबल डेण्डोर
2. कचरी पत्नी वीरा डेण्डोर

निवासीयान लिम्बडिया तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर।

3. भूमिधारी तहसीलदार गलियाकोट।
4. पटवारी पटवार मण्डल गडामेडतिया।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1.श्री प्रेमपुरी गोस्वामी – प्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांक –25.02.2026

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम ग्राम लिमडीया (लिम्बडीया) के तत्कालीन खसरा नं. 91 में रकबा 2–00 बीघा भूमि जरिये मी.नं. 22

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

दिनांक 10.11.2021 को कृषि प्रयोजन हेतु गैर खातेदारी हक पर आवंटित की गई है जो नियमो के विरूद्व आवंटन करने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नही होने से निरस्त योग्य है।

वादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु खाली एवं रिक्त भूमि जो कृषि योग्य हो तथा मौके पर रिक्त (Un-OCCUPIED) भूमि हो , ऐसी भूमि ही आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि होती है तथा ऐसी भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है, जबकि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार का पुराना कब्जा है।

वादग्रस्त आराजी खातेदारी आराजीयात भूमि से सटकर एवं पानीढोल की भूमि खसरा सं. 91 की भूमि स्थित थी, जिससे इसका उपयोग भी क्रेता अर्थात् प्रार्थी के पिता द्वारा किया जाता था। इस प्रकार आराजी खसरा सं. 91 की पडत व पहाडी ढलवा भूमि जिसका पानी ढोल (Water way) प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि की तरफ होने से प्रार्थी के परिवार द्वारा ही वर्ष 1982 से लेकर आज तक अर्थात् लगभग 42 वर्षो से अधिक समय से ही प्रार्थी के पूर्वज पिता के समय से आज तक अविरल रूपेण बाड लगा कब्जा कर काबिज काश्त शांतिपूर्वक आज तक चले आ रहे है तथा इसी भूमि को विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत करते हुए मौके के तथ्यों को छिपाते हुए जरिये Fraud & Misrepresentaion के कागजो में आवंटन करवा लिया है ।

आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है । आवंटन शर्तो की पालना नही होने से खातेदारी अधिकार विपक्षी संख्या 3 व 4 द्वारा प्रदान नही किये जा सकते है।

वादग्रस्त भूमि को कागजो में मिलीभगत करते हुए एवं मौके के तथ्यों को छिपाते हुए छिपे तौर पर आवंटन वर्ष 2021 में कागजों में करवाने के उपरांत वर्ष 2022 में इस आवंटित भूमि का कागजों में नामान्तरण करवाने के उपरांत एवं भूमि गेर खातेदारी में दर्ज हो जाने के बावजूद भी आवंटीगण भौतिक रूप से मौके पर नही आये एवं न ही कभी कब्जा करने का प्रयास ही किया ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन खारिज फरमावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी को नोटिस की विधिवत तामील होने के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से शैलेष कुमार भण्डारी अधिवक्ता द्वारा वकालत नाम पेश किया। विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया। दिनांक 08.09.2025 को विपक्षीगण का जवाब बन्द किया गया। विपक्षीगण नियत दिनांक 07.01.2026 को न्यायालय में उपस्थित नही हुए,

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

ऐसी परिस्थिति में विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में प्रार्थी की एकतरफा बहस समायत की गई।

3 प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम ग्राम लिमडीया (लिम्बडीया) के तत्कालीन खसरा नं. 91 में रकबा 2–00 बीघा भूमि जरिये मी.नं. 22 दिनांक 10.11.2021 को आवंटित की गई है जो नियमो के विरूद्व आवंटन करने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नही होने से निरस्त योग्य है।

वादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु खाली एवं रिक्त भूमि (Un-OCCUPIED) भूमि की श्रेणी में नहीं थी। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार का पुराना कब्जा है।

वादग्रस्त आराजी खातेदारी आराजीयात भूमि से सटकर एवं पानीढोल की भूमि खसरा सं. 91 की भूमि स्थित थी, इस प्रकार आराजी खसरा सं. 91 की पडत व पहाडी ढलवा भूमि जिसका पानी ढोल (Water way) प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि की तरफ होने से प्रार्थी के परिवार द्वारा ही वर्ष 1982 से लेकर आज तक अर्थात् लगभग 42 वर्षो से अधिक समय से ही प्रार्थी के पूर्वज पिता के समय से आज तक अविरल रूपेण बाड लगा कब्जा कर काबिज काश्त शांतिपूर्वक आज तक चले आ रहे है तथा इसी भूमि को विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत करते हुए मौके के तथ्यों को छिपाते हुए जरिये Fraud & Misrepresentaion के कागजो में आवंटन करवा लिया है ।

बहस में आगे निवेदन किया कि आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है । आवंटन शर्तो की पालना नही होने से खातेदारी अधिकार विपक्षी संख्या 3 व 4 द्वारा प्रदान नही किये जा सकते है।

वादग्रस्त भूमि आवंटन वर्ष 2021 में कागजों में करवाने के उपरांत वर्ष 2022 में इस आवंटित भूमि का कागजों में नामान्तरण करवाने के उपरांत एवं भूमि गेर खातेदारी में दर्ज हो जाने के बावजूद भी आवंटीगण भौतिक रूप से मौके पर नही आये एवं न ही कभी कब्जा प्राप्त किया ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन खारिज फरमावें।

4- *हमने बहस पर मनन किया ।*

5- पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड एवं तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौजा लिम्बडिया के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 91 (नया नम्बर 1994/1984) रकबा 2 बीघा भूमि जरिये मिसल नंबर 22 दिनांक 10.11.2021 को विपक्षी श्री वीरा पिता दुबल डेण्डोर,

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

कचरी पत्नी वीरा डेण्डोर निवासी लिम्बडिया तहसील गलियाकोट को भूमि का आवंटन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी रिकोर्ड अनुसार रेस्पोडेण्ट गैर खातेदार दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा काश्त होना, आवंटन के समय वादग्रस्त आराजी रिक्त (Un-OCCUPIED) भूमि नहीं होना, आवंटी द्वारा धोखाधडी व दुर्व्यपदेशन (Misrepresentation & fraud) के आधार पर भूमि का आवंटन कराया जाना का अकंन किया है। इन आधार पर प्रार्थी आवंटी के आवंटन को निरस्त कराना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वंय का कब्जा काश्त होना अंकित किया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये है जिनसे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है।

इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी रिक्त (Un-OCCUPIED) भूमि नहीं होना अंकन किया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये है जिनसे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी आवंटन के समय रिक्त (Un-OCCUPIED) भूमि नहीं रही है।

इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा आवंटन को आवंटी द्वारा धोखाधडी एवं दुर्व्यपदेशन (Misrepresentation & fraud) के आधार पर भूमि का आवंटन कराया जाने का अकंन किया है। जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन धोखाधडी एवं दुर्व्यपदेशन के आधार पर कराया जाना साबित होता हो।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित आराजी में काश्त नहीं करने का उल्लेख किया है। साथ ही आवंटित आराजी के लगभग 04 बिस्वा भूमि पर आवंटी वीरा व उसके पुत्र के कच्चे मकान बने होने का जिक्र किया है। पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी (खरीफ–सियालू), वर्ष 2023 (सम्वत 2080) , खसरा गिरदावरी (खरीफ–सियालू), वर्ष 2024 (सम्वत 2081) व खसरा गिरदावरी (खरीफ–सियालू), वर्ष 2025 (सम्वत 2082) के अनुसार आवंटी द्वारा मक्का की फसल काश्त की है। इससे साबित होता है कि आवंटित/वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेण्ट 1 व 2 का कब्जा काश्त है। प्रार्थी की ओर से बिना

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं मौजा लिम्बडिया के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 91 (नया नम्बर 1994/1984) रकबा 2 बीघा भूमि जरिये मिसल नंबर 22 दिनांक 10.11.2021 को विपक्षी श्री वीरा पिता दुबल डेण्डोर, कचरी पत्नी वीरा डेण्डोर निवासी लिम्बडिया तहसील गलियाकोट को भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर